कार्यालय– निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड
राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून

☎ 0135–2759799 ई–मेल: missionhortiuk@gmail.com

842

पत्रांक /HMNEH/Antihel net/Plastic Mulch Sheet/2022–23 दिनांकःदेहरादूनः 16 जून/2022

विज्ञप्ति

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड में संचालित की जा रही Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) के अन्तर्गत हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नार्थ ईस्ट एण्ड हिमालयन स्टेट्स (HMNEH) योजनान्तर्गत एन्टी हेल नेट (Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक मल्चशीट (Plastic Mulch Sheet) हेतु मूल निर्माणकर्ता फर्मो/कम्पनियों का पंजीकरण किया जाना है। इस हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर बन्द लिफाफे में कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में दिनांक 05.07.2022 को दोपहर 12:00 बजे तक आमन्त्रित किये जाते हैं, जिन्हें विभागीय गठित समिति द्वारा उसी दिन अपरान्ह 2:00 बजे खोला जायेगा तथा दिनांक 06.07.2022 को प्रातः 11:00 बजे आवेदक फर्मों/कम्पनियों के प्रतिनिधियों से मोल–भाव (Negotiation) हेतु वार्ता की जाएगी।

पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप तथा शर्तें बागवानी मिशन की वेबसाइट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड से प्राप्त प्रारूप को जमा करने हेतु रू0 2360/–(रूपये दो तीन सौ साठ मात्र, 18% जी0एस0टी0 सहित) का बैंक ड्राफ्ट जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के नाम देय हो, संलग्न करना होगा।

(डा0 हरमिन्दर सिंह बवेजा)
निदेशक, बागवानी मिशन

हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नार्थ ईस्ट एण्ड हिमालयन स्टेट्स (HMNEH) योजनान्तर्गत मार्गनिर्देशिका–2014 के अनुसार एन्टी हेल नेट (Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक मल्च शीट (Plastic Mulch Sheet) के मूल निर्माणकर्ता फर्मो/कम्पनियों का रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) के माध्यम से के पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्तें व नियम

अ) पंजीकरण हेतु सामान्य शर्तें

1) बागवानी मिशन योजनान्तर्गत एन्टी हेल नेट (Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक मल्च शीट (Plastic Mulch Sheet) घटकों हेतु मूल निर्माणकर्ता फर्मो/कम्पनियों से पंजीकरण हेतु आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं।

2) फर्म/कम्पनी को पंजीकरण हेतु प्रक्रिया शुल्क के रूप में रू0 2360/–(रूपये दो हजार तीन सौ साठ मात्र, 18% जी0एस0टी0 सहित) का बैंक ड्राफ्ट जो निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड के नाम बन्धक हो तथा देहरादून में देय हो, संलग्न करना होगा। आवेदन के प्रारूप व शर्तें वेबसाईट www.shm.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है, जिसे मुहर बन्द लिफाफे में दिनांक 05.07.2022 को दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में जमा किया जा सकता है। प्राप्त आवेदनों को दिनांक 05.07.2022 को ही अपरान्ह 02:00 बजे विभाग द्वारा गठित कमेटी द्वारा खोला जायेगा तथा दिनांक 06.07.2022 को प्रातः 11:00 बजे आवेदक फर्मो/कम्पनियों के प्रतिनिधियों से मोल–भाव (Negotiation) करने हेतु वार्ता की जाएगी।

3) लिफाफे के ऊपर "एन्टी हेल नेट (Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक मल्च शीट (Plastic Mulch Sheet) के पंजीकरण हेतु आवेदन" अवश्य अंकित किया जाय।

4) किसानों को आपूर्ति उपरान्त सेवा आसानी सेवा प्रदान कराने के उद्देश्य से फर्म/कम्पनी का कार्यालय अथवा डीलर उत्तराखण्ड राज्य में होना आवश्यक है।

5) फर्म/कम्पनी के डीलर को कम से कम एन्टीहेलनेट/प्लास्टिक मल्च शीट के आपूर्ति/प्रयोग से सम्बंधित 02 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। जिस सम्बन्ध में राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया गया अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

6) फर्म/कम्पनी को ऐन्टीहेल नेट व प्लास्टिक मल्च शीट की आपूर्ति हेतु फर्म/कम्पनी को संलग्न वित्तीय प्रपत्र भाग–2 पर ऐन्टीहेल नेट की प्रति वर्ग मीटर दर + GST सहित अंकित करनी होगी व प्लास्टिक मल्च शीट की दर प्लास्टिक मल्च शीट की मोटाई के अनुसार प्रति वर्ग मी0 अंकित करनी होगी।

7) बागवानी मिशन योजनान्तर्गत ऐन्टीहेल नेट की निर्धारित अधिकतम अनुमन्य लागत से अधिक दर प्राप्त होने की दशा में सम्बन्धित फर्म/कम्पनी के पंजीकरण पर विचार नहीं किया जायेगा।

8) यदि निर्माता फर्म/कम्पनी देश के बाहर की हैं तो उनके द्वारा देश में Authorized Dealership ली गई हो, जिससे उक्त फर्म/कम्पनी देश में कार्य कर सकती है। इस स्थिति में सम्बन्धित फर्म/कम्पनी को इस आशय का प्रमाण पत्र जो कि मूल वि–निर्माता द्वारा दिया गया हो, पंजीकरण प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

9) विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कास्तकारों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार पंजीकृत किसी भी फर्म/कम्पनी से स्वेच्छा से ऐन्टीहेल नेट/प्लास्टिक मल्च शीट क्रय किये जाने के उपरान्त विभाग को मूल बिल–वाउचर प्रस्तुत करते हुए विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कर लिये जाने के उपरान्त सीधे किसान को एकाउन्ट में RTGS/DBT के माध्यम से राजसहायता का भुगतान किया जायेगा। कास्तकार के लिखित अनुरोध करने पर ही राजसहायता की धनराशि RTGS/DBT से फर्म/कम्पनी को किया जा सकेगा।

10) फर्म/कम्पनी आपूर्ति उपरान्त सेवा की सुविधा प्रदान करना आवश्यक है।

11) पंजीकरण हेतु आवेदनकर्ता/निर्माता, फर्म/कम्पनी को वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है साथ ही पंजीकरण प्रमाण पत्र, GSTIN No एवं आयकर पैन कार्ड की छायाप्रति फॉर्म के साथ संलग्न करनी होगी।

12) पंजीकरण के पश्चात् यदि पंजीकृत फर्म/कम्पनी के साथ विवाद की स्थिति में फर्म/कम्पनी को निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड का फैसला अन्तिम रूप से मान्य होगा।

13) पंजीकरण की वैधता तिथि 31.03.2024 तक होगी।

14) भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/ड्यूटिज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोतरी/परिवर्तन किया जाता है, तो पंजीकृत फर्म के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड को तत्काल उपलब्ध करायेगें।

15) विभाग की आवश्यकतानुसार पंजीकरण व्यवस्था को किसी भी समय नवीनीकरण अथवा समाप्त किया जा सकता है।

16) यदि फर्म के मानक सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की वैद्यता तिथि 31.03.2024 से पूर्व समाप्त होती है तो फर्म को नवीनीकृत पंजीकरण के प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी अन्यथा फर्म का पंजीकरण समाप्त कर दिया जायेगा।

17) कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकरण की शर्तो/नियमों में तद्नुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

18) फर्म/कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई भी जानकारी यदि पंजीकरण की अवधि के दौरान असत्य पाई गई तो फर्म/कम्पनी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी। सत्यता के सम्बन्ध में रू0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

19) एन्टी हेल नेट (Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक मल्चशीट (Plastic Mulch Sheet) के पंजीकरण हेतु दी गई दरें न्यूनतम होने व पंजीकरण की अवधि में अन्य राज्यों या संस्थाओं को पंजीकरण हेतु दी गई दरों से कम दरों पर आपूर्ति नहीं करने के सम्बन्ध में रू0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

20) फर्म के विरूद्ध किसी प्रदेश में ऐन्टीहेल नेट व प्लास्टिक मल्च शीट की आपूर्ति विषयक कोई विवाद/विधिक कार्यवाही/अपराधिक कार्यवाही एवं फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है या नहीं जैसी भी स्थिति हो सूचित करते हुए शपथ पत्र रू0 100.00 के (नोटराइज्ड) नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर मूल रूप में जमा करना होगा।

21) पंजीकरण में भाग लेने वाली फर्म/कम्पनी का वर्ष 2020–21 का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रू0 01.00 करोड़ होना आवश्यक है, जिसका सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

22) तकनीकी प्रपत्र भाग–1 के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले सभी प्रमाण पत्रो की छायाप्रतियां पठनीय होनी नितान्त आवश्यक है। साथ ही फर्म के समस्त डाक्यूमैन्ट्स को फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा सील सहित प्रतिहस्ताक्षरित (Counter Signature) कर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

23) आवेदन खोलने के दिन यदि राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है, तो ऐसी दशा में आवेदन को खोलने की तिथि हेतु अगला कार्य दिवस निर्धारित होना समझा जाय।

24) ऐन्टीहेल नेट व प्लास्टिक मल्च शीट की आपूर्ति उपरान्त सत्यापन हेतु जनपद स्तरीय गठित समिति की सन्तोषजनक आख्या प्राप्त होने पर देय राजसहायता की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

25) ऐन्टीहेल नेट व प्लास्टिक मल्च शीट की लम्बाई एवं चौड़ाई का निर्धारण सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों एवं काश्तकारों की मांगानुसार करना होगा।

26) ऐन्टीहेल नेट की तकनीकी विशिष्टियां:– Knitted/Rashchel Antihail Net - 1. Type of thread- HDPE, 2. Yarn thickness- 0.18-0.22mm, 3. Weight- 65-75 GSM, 4.Bursting Pressure- 8-10kg/sqm, 5. Shade fector (max. permissible) 17%, 6. Colour- Transparent, 7. Service life- Minimum 5 year, 8. Material used- 100% vergin, 9. UV Stabilization-Required, 10. Selvedge- Minimum 2''.

27) प्लास्टिक मल्च शीट की तकनीकी विशिष्टियॉं फसल की आवश्यकतानुसार 20, 25, 30, 50, 75, 100, 150 व 200 में से उपयुक्त माइक्रोन थिकनेस के U.V. stabilized प्लास्टिक मल्च शीट की आपूर्ति करनी होगी।

28) काश्तकारों की मांगानुसार प्लास्टिक मल्च की आपूर्ति Black, Black & White and Black & Silver रंग में से किसी भी रंग की जायेगी।

29) उत्तराखण्ड के समस्त जनपद मुख्यालयों में एक समान दरों पर एन्टी हेल नेट/प्लास्टिक मल्च शीट की आपूर्ति (मूल दर+GST) F.O.R. (डेस्टीनेशन) सहित करनी होगी।

30) फर्म/कम्पनी द्वारा निर्मित ऐन्टीहेल नेट व प्लास्टिक मल्च शीट की आपूर्ति में गुणवत्ताहीन सामग्री के प्रयोग एवं मानकों के अनुरूप नही पाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत के प्रमाणित होने पर सम्बन्धित फर्म/कम्पनी की पंजीकरण निरस्त कर दी जायेगी और ऐसी फर्म/कम्पनी को काली सूची में रखे जाने का निर्णय भी लिया जा सकता है। आवश्यकतानुसार बैंक गारण्टी की धनराशि भी जब्त की जा सकती है।

31) विभागीय कमेटी की संस्तुति के उपरान्त दरें स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के पास सुरक्षित रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार की अपरिहार्य परिस्थितियों में पंजीकरण प्रक्रिया एवं पंजीकरण को पूर्णतः समाप्त/रद्द करने का अधिकार भी निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में निदेशक, बागवानी मिशन का निर्णय अन्तिम होगा तथा न्यायालय क्षेत्र देहरादून होगा।

32) ऐन्टीहेल नेट व प्लास्टिक मल्च शीट हेतु अन्य आवश्यक शर्तें।

(a) निम्न कारकों से होने वाली क्षति का अनुरक्षण करना होगा:–

i. ऐन्टीहेल नेट व प्लास्टिक मल्च शीट स्वतः फटने पर अनुरक्षण करना होगा।

(b) निम्न कारकों से होने वाली क्षति का अनुरक्षण नही करना होगा:–

i. जानबूझ कर चाकू/अन्य हथियार से ऐन्टीहेल नेट व प्लास्टिक मल्च शीट को काटने पर अनुरक्षण नही करना होगा।

ii. जंगली जानवरों तथा पालतू जानवरों से हुई क्षति का अनुरक्षण नही करना होगा।

iii. आग एवं प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति पर अनुरक्षण नही करना होगा।

(c) काश्तकार को ऐन्टीहेल नेट व प्लास्टिक मल्च शीट को लगाने/बिछाने रखरखाव एवं उत्पादन के सम्बन्ध में 01 वर्ष तक निशुल्क सलाह/जानकारी प्रदान करनी होगी।

(d) ऐन्टीहेल नेट व प्लास्टिक मल्च शीट में प्रयोग किये गये प्लास्टिक की सामग्री का आवश्यकतानुसार होने पर Quality Assurance हेतु CIPET से जॉंच कराई जा सकती है।

बागवानी मिशन योजनान्तर्गत अनुमन्य अधिकतम लागत एवं देय राज सहायता का विवरण:–

क्र0 सं0	घटक	इकाई	अनुमन्य लागत (रू0 में)	देय राज सहायता (रू0 में)
	i) Anti Bird / Anti Hail Nets			
1.	Anti Bird / Anti Hail Nets	Sqm	35.00	17.50
	ii) Plastic Mulching			
1.	Plastic Mulching	Ha	36,800.00	18,400.00

कार्यालय– निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड

राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून

☎ 0135–2759799 ई–मेलः missionhortiuk@gmail.com

पंजीकरण प्रपत्र वित्तीय प्रपत्र (भाग–2)

A) Antihail Net:-

क्र0 सं0	मद का नाम	बागवानी मिशन योजनान्तर्गत अधिकतम निर्धारित लागत (वर्ग मी0 में)	फर्म/कम्पनी की दर प्रति वर्गमीटर	जी0एस0टी0	फर्म/कम्पनी की दर प्रति वर्गमीटर (जी.एस.टी. सहित)
1.	1. Type of thread- HDPE, 2. Yarn thickness- 0.18-0.22mm, 3. Weight- 65-75 GSM, 4. Bursting Pressure- 8-10kg/sqm, 5. Shade fector (max. permissible) 17%, 6. Colour- Transparent, 7. Service life- Minimum 5 year, 8. Material used- 100% vergin, 9. UV Stabilization-Required, 10. Selvedge- Minimum 2''	35.00			

B) Plastic Mulch Sheet:-

क्र0 सं0	मद का नाम	प्लास्टिक मल्चशीट की मोटाई माईक्रान में	फर्म/कम्पनी की दर प्रति वर्गमीटर	जी0एस0टी0	फर्म/कम्पनी की दर प्रति वर्गमीटर (जी.एस.टी. सहित)
1	Plastic Mulch Sheet 20, 25, 30, 50, 75, 100, 150 व 200 micron thickness, UV Stabilized	20			
		25			
		30			
		50			
		75			
		100			
		150			
		200			

नोट– उपरोक्त सभी कालम पूर्ण रूप से स्वयं अथवा प्राधिकृतकर्ता द्वारा भरे जाने होंगे तथा प्रमाण पत्र दिया जाना होगा कि उपरोक्त सभी कालम में दी गयी सूचनाऐं सत्य एवं प्रमाणित हैं। पंजीकरण के साथ अनावश्यक प्रपत्र संलग्न न किये जायें।

प्रमाण–पत्र

मेरे द्वारा उपरोक्त पंजीकरण की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अध्ययन कर लिया गया है तथा उक्त सभी शर्तो पर अपनी पूर्णतः सहमति प्रदान करता हूँ।

आवेदनकर्ता/प्राधिकर्ता के हस्ताक्षर
आवेदनकर्ता/प्राधिकर्ता का नाम–
फर्म का नाम/पता/सील
फोन नम्बर–
ई–मेल–

कार्यालय– निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड
राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून

0135–2759799 ई–मेलः missionhortiuk@gmail.com

पंजीकरण तकनीकी प्रपत्र (भाग–1)

क्रमांक	विवरण	अभ्युक्ति संलग्न है या नहीं	पृष्ठ संख्या
1–	फर्म/कम्पनी की विस्तृत प्रोफाईल संलग्न करनी होगी, जिसमें फर्म/कम्पनी के कार्यालय का पता, फर्म/कम्पनी के स्वामी का नाम, फर्म/ कम्पनी के निदेशक, फर्म/कम्पनी के साझेदारों का नाम अंकित हो–		
2–	आवेदन फार्म जमा करने हेतु प्रकिया शुल्क की धनराशि का विवरण– ड्राफ्ट संख्या.................. तिथि.................. धनराशि.रू0–2360.00 जारीकर्ता बैंक का नाम..............................		
3–	एन्टी हेल नेट– हेतु बैंक गारण्टी/सावधी जमा रसीद जो निदेशक बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड के नाम बंधक हो का विवरण– बैंक गारण्टी/सावधी जमा रसीद का नं0–.......... जारीकर्ता बैंक का नाम– बैंक की शाखा का नाम– बैंक गारण्टी/सावधी जमा रसीद की धनराशि रू0– रू0 2.00 लाख जारी करने की तिथि– बैधता तिथि–		
4–	प्लास्टिक मल्च शीट– बैंक गारण्टी/सावधी जमा रसीद जो निदेशक बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड के नाम बंधक हो का विवरण– बैंक गारण्टी/सावधी जमा रसीद का नं0–.......... जारीकर्ता बैंक का नाम– बैंक की शाखा का नाम– बैंक गारण्टी/सावधी जमा रसीद की धनराशि रू0– रू0 1.00 लाख जारी करने की तिथि– बैधता तिथि–		
5–	फर्म का पैन नम्बर का प्रमाण–पत्र		
6–	फर्म जी.एस.टी. की छायाप्रति		
7–	फर्म का वर्ष 2020–21 का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रु0 1.00 करोड़ होने का सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र		
8–	फर्म/कम्पनी द्वारा अपने लेटर पैड पर विभाग द्वारा निर्धारित ऐन्टीहेल नेट व प्लास्टिक मल्च शीट की विशिष्टियां (Specification) की हस्ताक्षरित प्रति।		
9–	फर्म के विरूद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति विषयक कोई विवाद/ विधिक कार्यवाही/अपराधिक कार्यवाही अथवा फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है, जैसी भी स्थिति हो, से अवगत कराते हुए शपथ पत्र रू0 100/– के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर मूल रूप में जमा करना होगा।		
10–	फर्म/कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई भी जानकारी यदि		

	पंजीकरण की अवधि के दौरान असत्य पाई गई तो फर्म/कम्पनी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी। सत्यता के सम्बन्ध में रू0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करना होगा।		
11–	एन्टी हेल नेट (Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक मल्चशीट (Plastic Mulch Sheet) के पंजीकरण हेतु दी गई दरें न्यूनतम होने व पंजीकरण की अवधि में अन्य राज्यों या संस्थाओं को पंजीकरण हेतु दी गई दरों से कम दरों पर आपूर्ति नहीं करने के सम्बन्ध में रू0 100.00 के नोटेराईज्ड स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करना होगा।		
12–	फर्म/कम्पनी का कार्यालय अथवा डीलर उत्तराखण्ड राज्य में होने का प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 एवं पैन नम्बर सहित।		
13–	ऐन्टीहेल नेट व प्लास्टिक मल्च शीट की आपूर्ति उपरान्त 01 वर्ष की गारन्टी/वारन्टी प्रदान करने का शपथ पत्र।		
14–	फर्म/कम्पनी के Factory का विस्तृत विवरण जहॉ पर ऐन्टीहेल नेट व प्लास्टिक मल्च शीट उत्पादन किया जाता है।		
15–	फर्म/कम्पनी देश के बाहर की होने पर Authorized Dealership जो मूल विनिर्माता द्वारा दिया गया हो, संलग्न करना होगा।		
16–	फर्म/कम्पनी के लेटर पैड पर आपूर्ति उपरान्त सेवा की सुविधा प्रदान करने की घोषणा		
17–	फर्म/कम्पनी द्वारा ऐन्टीहेल नेट व प्लास्टिक मल्च शीट का आयात विदेशों से किया जाता है तो Certificate of Importer – Exporter Code (IEC) का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।		
18–	फर्म/कम्पनी को ISO प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।		
19–	ऐन्टीहेल नेट व प्लास्टिक मल्च शीट के दो–दो वर्ग मीटर का टुकडे नमूने के तौर पर निःशुल्क उपलब्ध कराना होगा, जिस पर कम्पनी का लोगो, विशिष्टियां व IS कोड अंकित हो तथा फर्म/कम्पनी के मुहर व हस्ताक्षर होने अनिवार्य है।		

नोट– उपरोक्त सभी कालम पूर्ण रूप से स्वयं अथवा प्राधिकृतकर्ता द्वारा भरे जाने होंगे तथा प्रमाण पत्र दिया जाना होगा कि उपरोक्त सभी कालम में दी गयी सूचनाऐं सत्य एवं प्रमाणित हैं। आवेदन के साथ अनावश्यक प्रपत्र संलग्न न किये जायें।

प्रमाण–पत्र

मेरे द्वारा उपरोक्त पंजीकरण की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अध्ययन कर लिया गया है तथा उक्त सभी शर्तो पर अपनी पूर्णतः सहमति प्रदान करता हूँ।

आवेदनकर्ता/प्राधिकर्ता के हस्ताक्षर
आवेदनकर्ता/प्राधिकर्ता का नाम–
फर्म का नाम/पता/ सील
फोन नम्बर–
ई–मेल–